



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56657-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10491/2026

सुखबीर सिंह राघव एवं 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : मीनेन्द्र त्रिपाठी

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री मीनेन्द्र त्रिपाठी और राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री हरे राम त्रिपाठी को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए दायर की गई है:

"(i) अतिरिक्त कलेक्टर (वित्त/राजस्व) अलीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 23.12.2025 (अनुलग्नक संख्या 1) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम नागौला, परगना एवं तहसील कोइल, जनपद अलीगढ़ स्थित गाटा संख्या 14/2, क्षेत्रफल 0.4610 हेक्टेयर, जो कासिमपुर थर्मल पावर परियोजना द्वारा अधिग्रहित/अतिक्रमित की गई है, के संबंध में वर्तमान प्रचलित सर्किल दर के अनुसार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्तागण को प्रतिकर प्रदान करें अथवा उक्त भूमि को कासिमपुर थर्मल पावर परियोजना के अतिक्रमण से तत्काल मुक्त कराएँ।

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्तागण ने पहले 2025 की रिट-सी संख्या 31437 (सुखवीर सिंह राघव और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) दायर करके इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया था, जिसमें उपरोक्त भूमि के संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए एक निर्देश मांगा गया था, जिसका उपयोग थर्मल पावर परियोजना के लिए किया गया था, और प्रत्यर्थीगण को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (इसके बाद अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित) के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि पर कब्जा करने से रोकने के लिए भी है। उक्त रिट याचिका को एक खंडपीठ द्वारा दिनांक 17.09.2025 के आदेश द्वारा निपटा दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्तागण के अधिकार, शीर्षक और दावे के निर्धारण के लिए 12.05.2016 के सरकारी आदेश के आलोक में मामले को जिला स्तरीय समिति को सौंप दिया गया था। इसके अनुसार, याचिकाकर्तागण के दावे को खारिज कर दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित आदेश रिकॉर्ड पर साक्ष्यों की उचित सराहना किए बिना, विशेष रूप से राजस्व रिकॉर्ड को मनमाने ढंग से पारित किया गया है, जिससे याचिकाकर्तागण के अधिकार, शीर्षक और दावे को नकार दिया गया है, जिसने उन्हें इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए मजबूर किया है।

4. इसके विपरीत, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री हरे राम त्रिपाठी ने रिट याचिका का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह बनाए रखने योग्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब डिवीजन बेंच ने मामले को 12.05.2016 के सरकारी आदेश के आलोक में विचार करने के लिए हटा दिया, और दावे को संसाधित करते समय, यह पाया गया कि याचिकाकर्तागण का शीर्षक स्वयं संदिग्ध है। उक्त सरकारी आदेश के तहत, दावों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है जहां संपत्ति का स्वामित्व विवादित है। एक बार जब विचारगत संपत्ति पर अधिकार और शीर्षक के संबंध में कोई विवाद मौजूद हो जाता है, तो रिट क्षेत्राधिकार में इसकी जांच नहीं की जा सकती है, जहां ऐसे अधिकारों को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, और केवल कानून के अनुसार सक्षम सिविल/राजस्व

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय द्वारा ही निर्णय दिया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट याचिका योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

5. हमने रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और दिनांक 23.12.2025 के आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है। यह स्पष्ट है कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), अलीगढ़ द्वारा दिनांक 18.11.2025/26.11.2025 की रिपोर्ट के आधार पर कुछ टिप्पणियां की गई हैं, जिन्हें रिट याचिका में अनुबंध संख्या 12 के रूप में जोड़ा गया है। हमारे सामने रखी गई सामग्री पर विचार करने पर, हम इस स्तर पर गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि यह अधिकार, शीर्षक और दावे से संबंधित विवादित प्रश्नों से संबंधित है, जो रिट क्षेत्राधिकार के तहत निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इसका उचित उपाय सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष है।

6. तदनुसार, याचिकाकर्तागण को विधि अनुसार सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष उचित राहत देने की स्वतंत्रता दी जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षों के अधिकार, शीर्षक या दावे के निर्णय के रास्ते में नहीं आएगी।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

19 मार्च, 2026

एनएलवाई